



सं सं राबैं. पुनर्वित्त/अल्पावधि/ 37 /ए1 जन एसओएफ/2020-21

परिपत्र सं 109 / पुनर्वित्त - 34/2020

15 अप्रैल 2020

प्रमुख शासन सचिव /The Chief Secretary  
सभी राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेश /All State Governments & UTs

महोदया / प्रिय महोदय

<p>ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति और राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वित्तमानों का निर्धारण पिछले कुछ दशकों से भारत, कृषि के लिए वाजिब दरों पर सुविधाजनक ऋण प्रदान करने के मार्ग पर अग्रसर है. एक ओर कृषि गतिविधियों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने इस क्षेत्र को समय पर ऋण उपलब्धता और दूसरी ओर देश की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का महत्व कम नहीं है. वर्ष 1998-99 में शुरू की गई पारदर्शी ऋण सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से कृषि ऋण की सुलभ उपलब्धता महत्वपूर्ण है. साथ ही, प्रत्येक किसान को केसीसी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध किया जा सके. ज़िला स्तर पर तय किए जाने वाले वित्तमान प्रत्येक फसल के लिए पात्र ऋण और किसान की पहचान का एक आधार बन जाता है. वित्तमान, खेती की जाने वाली फसल और क्षेत्र के आधार पर केसीसी की सीमा तय की जाती है. ज़िले में सहकारी बैंक की अगुवाई में फसल के लिए वित्तमान तय करने की प्रथा कई दशकों से चली आ रही है.</p>	<p><b>Scale of Finance (SoF) – Fixing by DLTC and SLTC</b></p> <p>Over the last few decades India has embarked on a journey towards providing improved access to affordable and hassle free credit for agriculture. The importance of timely and adequate credit for the sector for ensuring viability of agricultural activities on the one hand as also to ensure food security of the nation on the other cannot be undermined. Kisan Credit Card (KCC), a transparent credit instrument introduced in 1998-99 has further enhanced accessibility of agriculture credit in a hassle free manner. Further, efforts are also made to ensure that every farmer is in possession of a KCC so that that all farmers are assured of timely credit. The cornerstone of agriculture credit is the Scale of Finance (SoF) being fixed for every crop at the district level which forms the basis for determining the eligible credit for each crop and farmer. The limit for KCC is also decided based on the scale of finance, crop grown and area cultivated. The system of fixing scale of finance is in</p>
---	---

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

2. वर्तमान में ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी), ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक का आयोजन करता है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रायः ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं. कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य ने वित्तमान की निर्धारण में समानता और पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर बल दिया है. इन सुझावों की भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड ने समीक्षा की और वर्तमान दिशानिर्देशों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय किया गया है।

3. यह निर्णय किया गया कि वित्तमान तय करने में ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति प्रमुख भूमिका निभाती रहेगी और अपने सदस्यों / सभी प्रमुख हितधारकों से प्रस्ताव प्राप्त करेगी तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर कार्यसूची तैयार करेगी. अनुमोदन के बाद ये प्रस्ताव राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) को भेजे जाएंगे. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ज़िले की स्थितियों/ ज़िले की विशेषताओं/ कृषि-जलवायु क्षेत्र आदि के आधार पर प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और उनका अनुमोदन करेगी. इस प्रकार अनुमोदित वित्तमान, अपनाए जाने के लिए सभी हितधारकों में परिचालित किया जाएगा. इसके व्यापक प्रसार के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति, राज्य सहकारी बैंक, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वेबसाइट पर प्रमुखता से रखा जा सकता है.

vogue for the last several decades with the Cooperative Bank in the district taking the lead for the same.

2. As of now the SoF is fixed by the District Level Technical Committee (DLTC), the meeting of which is convened by the District Central Cooperative Bank (DCCB) and generally chaired by the CEO of the DCCB/senior most official present. The Internal Working Group constituted by Reserve Bank of India (RBI) to Review Agricultural Credit and to analyse the challenges faced in the agriculture sector stated that there is a need to bring about uniformity and transparency in fixation of scale of finance. The suggestions made were further examined by RBI and NABARD and it has been decided to revise the existing guidelines as enumerated in the following paragraphs.

3. It is now decided that DLTC will continue to play a major role in deciding the SoF and will call for proposals from its members/ all major stakeholders and prepare the agenda for the meeting based on the inputs received from the stakeholders. On approval, the proposals will be forwarded to the State Level Technical Committee (SLTC). The SLTC would review the proposals based on the district level conditions, the characteristic of district /agro-climatic zones etc., and approve the same. The SoF so approved would then be circulated among all stakeholders for its adoption. For wider circulation it may be placed prominently on the website of the SLBC, StCB, DCCB, SCBs and RRBs.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई-मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

वित्तमान को तय करने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को प्रयास करना होगा. इस संबंधित विस्तृत प्रक्रिया यहाँ दी जा रही है।

#### 4. ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी)

##### क. गठन

ज़िला प्रशासन, ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) का गठन करता है जिसमें ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक इसका संयोजक होता है और यह ज़िला सलाहकार समिति (डीसीसी) के साथ मिल कर कार्य करता है. ज़िलाधीश/ ज़िला न्यायाधीश(मेजिस्ट्रेट) इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं. इनकी अनुपस्थिति में ज़िले के कृषि विभाग प्रमुख समिति की अध्यक्षता कर सकते हैं. समिति में अग्रणी ज़िला प्रबन्धक/ नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबन्धक/ज़िला विकास अधिकारी, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के प्रतिनिधि, प्रमुख वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रमुख गैर-सरकारी संगठन और संबंधित ज़िले के प्रगतिशील किसान इसके सदस्य हो सकते हैं. कृषि विज्ञान केंद्र/ कृषि विश्वविद्यालय/ पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/ मत्स्य पालन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय/ भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र/ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान आदि के प्रतिनिधि नियमित सदस्यों के रूप में बैठक में आमंत्रित किए जाएँ.

##### ख. प्रक्रिया

हितधारकों से प्राप्त प्रस्ताव अथवा तकनीकी

Efforts may be made by all concerned to use technology to maximum possible extent to ensure speedy and transparent process for fixing the SoF. The detailed process for the same are enumerated in the following paragraphs.

#### 4. District Level Technical Committee (DLTC)

##### a. Constitution

The District Level Technical Committee (DLTC) shall be constituted by District Administration with District Central Cooperative Banks as its Convener and shall work in alignment with District Consultative Committee (DCC). The District Collector /District Magistrate may be appointed as Chairman of the committee. In his absence, head of the agriculture department of the district may chair the meeting. Membership may consist of LDM, DDM/DDO of NABARD, representative of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries Departments, Major Commercial Banks, Regional Rural Bank, major NGOs and a few progressive farmers in the district concerned. Representatives of KVK/ Agriculture University/ Veterinary University/ Fisheries Colleges or University/ ICAR Regional Research Stations/ ATMA etc. may also be included as regular members of the Committee and be invited for expert technical inputs.

##### b. Process

The proposals received from the stake holders or proposed by the technical experts may be placed for the consideration of the committee. The

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित सुझावों को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा. फसलों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कृषि विभाग करेगा जबकि पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग कार्यशील पूंजी के लिए अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा कर इन्हें समिति के समक्ष रखेंगे. निवेश-वस्तुओं की मौजूदा लागत, उत्पादकता और उत्पाद का बाजार मूल्य और कृषि विज्ञान केंद्र/ कृषि विश्वविद्यालय/ पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय/ मत्स्यपालन महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केंद्र, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था आदि से प्राप्त तकनीकी जानकारी को ध्यान में रख कर प्रस्तावों की समीक्षा की जानी चाहिए.

#### ग. वित्तमान निर्धारण

ज़िले में की जाने वाली ग्रीष्मकालीन फसलों सहित, यदि कोई हो, विभिन्न मौसमी फसलों के लिए विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र, फसल प्रथाओं आदि विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए प्रति एकड़ आधार पर वित्तमान का निर्धारण किया जाना चाहिए. सिंचित असिंचित फसलों, खेती के पारंपरिक और आधुनिक पद्धतियों और कृषि प्रथाओं में स्थानीय परिवर्तनों, यदि कोई हो, के लिए अलग-अलग वित्तमान निर्धारित किए जाएँ. जिन जिलों में जैव खेती/ प्राकृतिक खेती की जाती है उनके लिए अलग-अलग वित्तमानों का निर्धारण किया जाए. पशुपालन गतिविधियों के मामले में प्रचलित प्रथाओं और उत्पादन गतिविधियों को चलाने के लिए सभी आवर्ती खर्च का ध्यान रखते हुए ज़िले में की जाने वाली सभी प्रकार के पक्षियों/ प्रति पशु के लिए

agriculture department shall review the proposals for field crops while the animal husbandry and fisheries departments shall review the proposals for working capital limits under their respective sectors and place it in the Committee. The proposals should be reviewed taking into account the prevailing cost of inputs, productivity and market price of produce and technical inputs from the KVK/ Agriculture University/ Veterinary University/ Fisheries Colleges/ University/ ICAR Research stations, ATMA etc.

#### c. Fixing of SoF

SoF may be fixed on **per Acre** basis indicating a range taking into account various aspects including different agro-climatic zones, cropping practices etc. for all important crops grown in the district for different cropping seasons including summer crops, if there are any. Separate scales may also be prescribed for irrigated and unirrigated crops, traditional and modern methods of farming and local variations in farming practices, if any. In districts where organic farming/ natural farming is vogue, separate SoF for the same may also be finalised. In case of Animal Husbandry activities SOF may be fixed per animal / bird basis for all important activities undertaken in the district after giving due consideration to rearing practices in vogue and all recurring expenses required for sustaining production activities. Similarly, for Fishery sector SOF may be fixed based on the average unit size of the

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)  
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

वित्तमान का निर्धारण किया जाए. इसी प्रकार मत्स्यव्यवसाय के लिए निवेश के औसत इकाई आकार के आधार पर वित्तमान का निर्धारण किया जाए. वित्तमान के निर्धारण के समय निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं:

- i. हालांकि वित्तमान का निर्धारण ज़िले के लिए किया जाता है तथापि, ज़िले के भीतर यदि कृषि जलवायु में भिन्नता पाए जाने की स्थिति में अलग-अलग वित्तमानों का निर्धारण करना चाहिए.
- ii. वास्तविक वित्तमान के निर्धारण की प्रक्रिया के लिए ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति एक डाटा बेस तैयार करना होगा और विस्तृत वर्कशीट्स रखने चाहिए.
- iii. अपनाई जाने वाली प्रथाओं के पैकेज के आधार पर वित्तमानों का निर्धारण किया जाना चाहिए और बैंकों के पास संसाधनों की कमी के संबंध में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए.
- iv. बागान/बागबानी, ऊतक संवर्धन आधारित पौधों आदि के उत्पादनों हेतु बीज उत्पादकों द्वारा बीजों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अलग/ उच्चतर वित्तमान के निर्धारण की आवश्यकता है.
- v. सभी बागबानी फसलों सहित पशुपालन गतिविधियों और मत्स्यपालन गतिविधियों के लिए वित्तमानों का निर्धारण किया जाए.
- vi. ज़िले में कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार सुगंधित पौधों, मसलों आदि जैसी "कम वजन और उच्च मूल्य" वाले

investment. Following are some additional measures suggested while fixing the scale of finance:

- i. While the district can continue to be the unit for prescription of the scales of finance, different scales may be fixed, should the agro climatic characteristics vary, within a district.
- ii. DLTC should build up and maintain a data base and detailed worksheets considered for undertaking the exercise for fixation of realistic scales.
- iii. Scales should be fixed with reference to package of practices adopted and the extraneous factors like resource constraints of the banks, should not come into the picture.
- iv. There is a need for fixing separate/higher scales of finance for commercial production of seeds by the seed growers, for export oriented horticulture/ floriculture, tissue culture based seedlings, etc.
- v. SoF may be fixed for all the crops including horticulture crops, Animal Husbandry activities and Fisheries activities.
- vi. Separate SoF may be fixed for "low volume high value" crops like flowers, aromatic/medicinal crops, spices, etc., depending upon the crop feasibility as per agro-climatic conditions, if prevalent in the district.

d. **Recommendation to SLTC**  
DLTC may indicate scales of finance for

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

पौधों की खेती ई जाती हो तो अलग-अलग वित्तमानों का निर्धारण किया जाए.

घ. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति को संस्तुति ज़िला स्तरीय तकनीकी समिति प्रमुख फसलों और कृषि सम्बद्ध गतिविधियों को कार्यशील पूंजी के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारण और अपनाने के लिए वित्तमान प्रस्तुत करेगी.

#### 5. राज्य स्तरीय तकनीकी समिति

##### क. गठन

कृषि उत्पादन आयुक्त(एपीसी)/ कृषि सचिव, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का गठन करे. राज्य सहकारी बैंक समिति का संयोजक होगा और यह राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के साथ मिल कर कार्य करेगा. कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे और उनकी अनुपस्थिति में कृषि निदेशक बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं. राज्य कृषि विभाग, पशुपालन और मत्स्यव्यवसाय विभाग, राज्य सहकारी विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबाई, राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक, राज्य के प्रमुख वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि इसके सदस्य होंगे. राज्य कृषि विश्वविद्यालय, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, मत्स्यव्यवसाय विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य के शोध संस्थाओं जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नियमित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाए.

##### ख. प्रक्रिया

डीएलटीसी द्वारा अद्योषित प्रस्तावों को समिति के विचारार्थ रखा जाता है. राज्य कृषि विभाग कृषि फसलों के प्रस्तावों की समीक्षा करेगा

major crops and working capital loans to allied sector activities and forward their recommendations to State Level Technical Committee for finalisation and adoption.

#### 5. State Level Technical Committee

##### a. Constitution

The State Level Technical Committee (SLTC) may be constituted by Agriculture Production Commissioner (APC) / Secretary, Agriculture Department with State Cooperative Banks as its Convener and shall work in alignment with State Level Bankers Committee (SLBC). The APC / Secretary Agriculture of the state may be the Chairman of the committee and in his absence, the Director, Agriculture may chair the meeting. Membership may consist of State Agriculture Department, Animal Husbandry and Fisheries Departments, State Cooperation Department, Reserve Bank of India, NABARD, SLBC Convenor, Major commercial banks having presence in the State, RRBs, etc. Representatives of Technical institutions like State Agriculture Universities, Veterinary Universities, Fishery University and ICAR Research Institutes in the State may be invited as regular members for the meeting.

##### b. Process

The proposals forwarded by the DLTC may be placed for the consideration of the committee. The state agriculture department shall review the proposal for field crops while the animal husbandry

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

जबकि पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग अपने संबंधित क्षेत्रों के तहत कार्यशील पूंजी सीमा के प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. यदि आवश्यक हो, तो विभागों द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालय जैसे तकनीकी संस्थानों से तकनीकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

#### ग. वित्तमान का निर्धारण

समिति राज्य पर समग्रतः विचार करते हुए विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों, सिंचित / असिंचित क्षेत्रों, कृषि पद्धतियों तथा जिलों में विद्यमान फसल प्रथाओं में स्थानीय भिन्नताओं और बारीकियों को ध्यान में रखते हुए यथार्थपरक वित्तमान निर्धारित कर सकती है. चूंकि पारंपरिक कृषि पद्धतियों से खेती करने वाले किसान और आधुनिक कृषि पद्धतियों से खेती करने वाले प्रगतिशील किसान के लिए खेती की लागत अलग-अलग होती है, इसलिए यह वांछनीय है कि वित्तमान इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि स्वीकार्य वित्तमान एक निश्चित राशि न होकर एक सीमा के रूप में हो. संबद्ध गतिविधियों हेतु कार्यशील पूंजी ऋण के लिए वित्तमान राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित पद्धतियों तथा इकाई के आकार, जैसे - प्रति पशु / प्रति पक्षी या निवेश के औसत आकार के आधार पर तय किया जाए .

#### घ.

एसएलटीसी फसल ऋणों के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के कार्यशील पूंजी ऋणों के वित्तमान अधिसूचित करे. वित्तमान की अधिसूचना में जिले, कृषि-जलवायु क्षेत्र, फसल के प्रकार, मौसम, उत्पादन की स्थितियों आदि

and fisheries departments shall review the proposals for working capital limits under their respective sectors and place it in the Committee. Technical inputs may be taken by the departments from the technical institutions like State Agriculture University etc., if considered necessary.

#### c. Fixing of SoF

The Committee may take an overview of the state and fix realistic scales of finance considering different agro-climatic zones, irrigated/unirrigated areas, methods of cultivation and taking into account local variations and nuances in the cropping pattern, if any, prevalent in districts. Since the cost of cultivation for a farmer using traditional methods of farming and that for a progressive farmer using modern methods of cultivation are different, it is desirable that the SOF may be fixed as a scale indicating the amount admissible as a range. Scale of finance for working capital loans of allied activities may be fixed considering the prevailing practices in different parts of the State and based on the unit size such as per animal/ birds or average unit size of investment.

#### d. Notification

SLTC may notify the scales of finance for crop loans and the working capital loans for animal husbandry and fisheries sectors. The SoF notification should clearly indicate the district, Agro climatic zone, type of crop, season, conditions in which it is grown etc., format for issuing the notification is

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए. अधिसूचना का प्रोफार्मा अनुबंध - I में दिया गया है. जमीनी स्तर पर सूचना का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के सभी परिचालक बैंकों और स्टैकहोल्डरों को इसकी सूचना दी जाए और इसे पैरा 3 में उल्लिखित वेबसाइटों पर अपलोड भी किया जाए.

#### 6. समयसीमा

एक वर्ष के लिए वित्तमान को अंतिम रूप देने के लिए डीएलटीसी और एसएलटीसी बैठक का आयोजन किया जाए. तथापि, अवश्यक होने पर एक वर्ष में अधिक बैठकों का आयोजन किया जा सकता है. इस प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा नीचे दी जा रही है. इसका कड़ाई से पालन किया जाए ताकि फसल के मौसम की शुरुआत से पहले नए वित्तमान तैयार किए जा सकें.

furnished in Annexure I. Dissemination of information at the ground level may be ensured by communicating the same to all operating banks and stakeholders and also by placing in the websites as stated in para 3.

#### 6. Timelines

DLTC and SLTC may meet annually for finalising the SoF for an year. However, there can be more meetings in a year if need be. The timelines for completing the process is indicated as under and may be followed scrupulously so as to be ready with the new SOF before start of a cropping season.

### डीएलटीसी के लिए समयसीमा /Timeline for DLTC

क्र सं.	विवरण Particulars	डीएलटीसी DLTC
1	प्रस्ताव मंगाने की अंतिम तिथि Last date for calling proposals	31 अक्टूबर October (पिछला कैलेंडर वर्ष previous calendar year)
2	प्रस्ताव प्राप्त की अंतिम तिथि Last date for receipt of proposals	30 नवंबर November
3	प्रस्तावों को अंतिम रूप देना Finalisation of the proposals	31 दिसंबर December
4	जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक District Level Technical Committee Meeting	1-7 जनवरी January
5	बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन की तिथि Date for approval of the minutes of the meeting	15 जनवरी January
6	एसएलटीसी को कार्यवृत्त के प्रेषण की तिथि Date for forwarding the same to SLTC	31 जनवरी January

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)



## एसएलटीसी के लिए समयसीमा Timeline for SLTC

क्र सं	विवरण Particulars	एसएलटीसी SLTC
1	डीएलटीसी से प्रस्ताव आमंत्रित करने की अधिसूचना जारी किया जाना Issuing notification inviting proposals from DLTCs	1 फरवरी February
2	प्रस्ताव प्राप्त के अंतिम तिथि Last date for receipt of proposals	15 फरवरी February
3	प्रस्तावों को अंतिम रूप देना Finalisation of the proposals	28 फरवरी February
4	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक State Level Technical Committee Meeting	1-15 मार्च March
5	बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन की अंतिम तिथि Last date for approval of the minutes of the meeting	21 मार्च March
6	नए फसल वर्ष के लिए वित्तमान की अधिसूचना जारी किया जाना Notification of SoF for the new cropping year	1 अप्रैल April

**टिप्पणी:** जिला स्तरीय तकनीकी समिति(डीएलटीसी) स्तर पर किसी फसल वर्ष के लिए वित्तमान के निर्धारण की प्रक्रिया उसके पिछले वर्ष ही ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार शुरू की जानी चाहिए और खरीफ के मौसम की शुरुआत से थोड़ा पहले, 01 अप्रैल को समाप्त हो जानी चाहिए.

**Note:** The process of fixing SOF should start at DLTC for cropping year in the previous year itself as indicated above and will culminate just before the commencement of Kharif season, on 1 April.

7. कृषि गतिविधियों के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त प्रदान करना कृषि की संधारणीयता को सुनिश्चित करने, किसानों की आय दुगुनी करने और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है. इसलिए प्रत्येक फसल के मौसम की शुरुआत से उपर्युक्त का कड़ाई से पालन कर समयबद्ध रूप से एसएलटीसी और डीएलटीसी वित्तमान का निर्धारण आवश्यक है. वित्तमान के निर्धारण की	7. Extending timely and adequate finance for undertaking farming activities is one of the crucial factors in ensuring sustainability of agriculture, doubling of farmers' income and food security of nation. The fixation of realistic Scales of Finance before commencement of each cropping season is very important for the same. Hence, guiding principles on fixation of scale of finance by both SLTC and DLTC as elaborated above needs to be followed very meticulously and on a time bound manner. The new system of fixing SOF
--	---

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)


नई व्यवस्था तत्काल लागू की जाए. तथापि, अगले फसल मौसम, अर्थात् 2021-22 से, ऊपर बताई गई समयसीमा का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है.

8. कृपया पावती भेजें।

may be put in operation immediately. However, from the next cropping season i.e. 2021-22, the time line mentioned above need to be followed very rigorously.

8. Please acknowledge receipt

भवदीय



(जिजि माम्नेन)

मुख्य महाप्रबंधक

संलगना : उपर्युक्त

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

**Format for Notification – SLTC (Indicative)**

**Name of the State**

**Agro-climatic Zone:**

**Season – Rabi/Kharif/Summer**

<b>Name of the Crop</b>	<b>SoF (per Acre)</b>	<b>Districts/ Taluka covered</b>
<b>Paddy (Rainfed)</b>		
<b>Paddy (irrigated)</b>		
<b>Paddy (HYV)</b>		
<b>Diary animal</b>	<b>Per animal</b>	
<b>Poultry</b>	<b>Per bird</b>	
<b>Fishery- Inland</b>	<b>WC for 1 acre pond</b>	
<b>Fishery - Marine</b>	<b>WC to be indicated based on the type of activity</b>	

**Note:**

**The above format is an indicative one and may be suitably modified to meet the needs of the district**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

विभाग नाम

प्लॉट नं सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

**Department of Refinance**

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

